

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा किये गये सराहनीय कार्य का विवरण-

थाना-तहबरपुरअवैध गांजा के साथ शातिर लूटेरा गिरफ्तार

आज दिनांक 20.12.2020 को SHO देवानन्द मय हमराह व0उ0नि0 बसन्तलाल, हमराह को मुखबिर खास सूचना प्राप्त हुई कि नुरुद्दीनपुर बाजार में यूनियन बैंक जाने वाली रोड तिराहे पर एक व्यक्ति हाथ में झोला लिये हुए खड़ा है। किसी साधन का इन्तजार कर रहा है। झोले में नाजायज गांजा हो सकता है। यदि जल्दी किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। नहीं तो वहां से व हट बढ सकता है। मुखबिर की सूचना से हमराह व0उ0नि0 व कर्म0गण को अवगत कराकर मुखबिर को मौके पर ही छोड़कर नुरुद्दीनपुर तिराहे के पास पहुँचा तो घने कोहरे के बीच एक व्यक्ति हाथ में झोला लिए हुए खड़ा दिखाई दिया। नजदीक जाकर पकड़ने की कोशिश की गयी तो हम पुलिस वालो को देखकर बैंक की तरफ भागने लगा कि आवश्यक बल प्रयोग करके तिराहे से करीब 50 कदम की दुरी पर उसे पकड़ लिया गया। नाम पता पुछा गया तो उसने अपना नाम अजय यादव पुत्र सुरेश यादव ग्राम रघुनाथपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ बताया। जामा तलाशी ली गई तो दाहिने हाथ में लिए हुए प्लास्टिक के एक झोले में सवा किलो (1250 ग्राम) नाजायज गांजा बरामद हुआ कि कारण गिरफ्तारी बताते हुए तथा नियमों का पालन करते हुए अभियुक्त अजय यादव उपरोक्त को समय करीब 7.10 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया तथा बरामदशुदा माल को कब्जा पुलिस में लिया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 90/20 धारा 8/20 एनडीपीएसएक्ट पंजीकृत किया गया है। अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

थाना-महराजगंजनाबालिग लडकी का दुष्कर्म करने वाला वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

आज दिनांक 19/12/20 को उ0नि0 मय हमराही कर्म0गण के थाने से खाना होकर देखभाल क्षेत्र, पेंडिंग विवेचना, तलाश वारंटी तलाश वांछित व विवेचना हेतु क्षेत्र में मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दुर्गेश पुत्र छोटेलाल पासवान सा0 मोलनापुर पृथ्वीपाल थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ़, रघुपुर (डिप्टी की छावनी) के पास मौजूद हैं, कहीं जाने की फिराक में खड़ा है, यदि शीघ्रता किया जाय तो पकड़ा जा सकता है। उ0नि0 मय हमराही कर्मचारीगण व मुखबिर खास के साथ बउम्मीद गिरफ्तारी छिपते छिपाते रघुपुर (डिप्टी की छावनी) के पास आया जहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा दिखाई दिया। मुखबिर खास इशारा करके हट बढ गया हम पुलिस वाले खड़े हुए व्यक्ति को एकबारगी घेर कर पकड़ लिये। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम दुर्गेश पुत्र छोटेलाल पासवान सा0 मोलनापुर पृथ्वीपाल थाना विलरियागंज जनपद आजमगढ़ बताया। पकड़े गया व्यक्ति मुकदमा उक्त का नामित एवं धारा 363, 366, 376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट का अभियुक्त है। कारण गिरफ्तारी से अवगत कराकर समय करीब 10.25 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। दौराने गिरफ्तारी मा0 उच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों व निर्देशों का अक्षरशः पालन किया गया है। अभियुक्त के गिरफ्तारी की सूचना जरिये उचित माध्यम अभियुक्त के बड़े भाई अनिल पासवान को दिया गया।

थाना-रौनापारनाबालिग लडकी के साथ दुष्कर्म करने वाले दो वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्री नागेन्द्र पटेल थाना, रौनापार- जनपद आजमगढ़ की लिखित तहरीर कि प्रेम चन्द यादव S/O श्री रामवचन यादव (2) कन्हैया यादव पुत्र प्रदीप यादव निवासीगण देवारा खास राजा थाना रौनापार आजमगढ़ द्वारा वादी की बहन उम्र-15 वर्ष के साथ गन्ने के खेत में मुँह में कपड़ा ठूसना और करिश्मा के साथ जोर जबरदस्ती व बलात्कार किया गया है। इस सूचना पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 241/2020 धारा 376डी/120 बी भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना रौनापार पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

दिनांक-20.12.2020 को थानाध्यक्ष रौनापार नवल किशोर सिंह द्वारा मय फोर्स को जरिये मुखबिर खास की सूचना पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्तगण (1) प्रेम चन्द यादव S/O रामवचन यादव (2) कन्हैया यादव पुत्र प्रदीप यादव निवासीगण देवारा खास राजा थाना रौनापार आजमगढ़ को नैनीजोर तिराहा से समय लगभग 11.10 बजे गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

## थाना-मेहनाजपुर

### तमंचा व कारतूस के साथ चोरी करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20.12.2020 को उ.नि.अतीक अहमद मय हमराह तियरा मोड़ के पास मामुर थे कि जरिये मुखबिर सूचना मिली की एक व्यक्ति के.के.उर्फ नीरज राजभर जो कुछ दिन पहले जमुखा ग्राम में आद्या प्रसाद सिंह के घर से धान चोरी किया था उस धान को बेचने के लिए जमुखा से मेहनाजपुर बाजार की तरफ जा रहा है उसके पास अवैध असलहा भी है ग्राम जमुखा जाने वाले रास्ते पर जा रहा था की अम्बेडकर मूर्ति से थोडा पहले बनी पुलिया पर ईट भट्टे के पास एक व्यक्ति बोरी में कुछ लिए बैठा था पुलिया के पास गाडी पहुँचते ही पुलिया पर बैठा व्यक्ति अचानक पुलिस की गाडी देखकर भागने लगा कि हमराही कर्मचारीगण की मदद से करीब 25 से 30 कदम भागते भागते घेरकर पकड लिया गया। पकडे गए व्यक्ति का नाम पता व भागने का कारण पूछा गया तो बार-बार गलती की माफी मांगते हुए अपना नाम के.के.उर्फ नीरज राजभर पुत्र स्व. रामलखन उर्फ घूना ग्राम जमुखा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया तथा यह भी बताया कि साहब तमंचा व कारतूस लिया हूँ। गिरफ्तार अभियुक्त का चालान मा0 न्यायालय किया गया है।

## थाना- जीयनपुर

### दुकान में चोरी करने वाले दो अभियुक्त गिरफ्तार, चोरी करने से पहले चोरो को किया गया गिरफ्तार

दिनांक- 19.12.2020 को उ0नि0 केशर यादव मय हमराह को जरिये मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि आए दिन बाजारों में चोरी की वारदातों को अंजाम देते है। अगली चोरी करने की फिराक में है। अगर जल्दी किया जाये तो उन चोरो को पकड़ा जा सकता है। मुखबिर खास की सूचना उ0नि0 केशर यादव मय हमराह द्वारा सोनू पाण्डेय तथा संजय पाण्डेय उपरोक्त को साथ लेकर बरडीहा मोड़ पर आकर दुकान की आड में छिपकर उन चारो व्यक्तियों की बात सुनने लगा जो आपस में बातचीत कर रहे थे कि गुलाब चलो अब रात काफी हो गयी है जाडा का समय है सब लोग घर में सो गये होंगे चलो किसी दुकान में चोरी करते हैं जहाँ पर उम्मीद हो कि ज्यादा से ज्यादा रुपये और माल मिले। पूर्ण विश्वास हो जाने पर समय करीब 23.50 बजे मय फोर्स एकबारगी दबिश देकर दो व्यक्तियों को पकड लिया गया तथा दो व्यक्ति अंधेरे का लाभ उठाकर मौके से भाग गये। पकडे गये व्यक्तियों से नाम पता पुछा गया तो एक ने अपना नाम सोनू पुत्र जैश निवासी ग्राम बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष व दुसरे व्यक्ति ने अपना नाम खुर्रम पुत्र एहरार निवासी ग्राम बरडीहा थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष बताया भागे हुए व्यक्तियों के बारे में पुछने पर एक का नाम गुलाब साहनी पुत्र टिल्लू निवासी अजमतगढ़ सलोना पम्प नहर पर थाना जीयनपुर जनपद-आजमगढ़ तथा दूसरे का बलिराम पुत्र शिवचन्द्र निवासी ग्राम धरौली थाना घोसी जनपद-मऊ बताया। पकडे गये व्यक्तियों की जामा तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति के दाहिने हाथ में एक लोहे की राड जिसमें एक तरफ नुकीला लम्बाई लगभग चार बालिस्ट तथा बाये हाथ में एक पेचकस जिसमें एक तरफ प्लास्टिक की मुठिया लगी है लम्बाई लगभग 13 अंगुल तथा एक प्लास लम्बाई लगभग 11 अंगुल जिसके एक तरफ पकडने के लिए प्लास्टिक चढा हुआ है तथा दुसरे व्यक्ति की जामा तलाशी ली गयी तो पहने हुये पैन्ट के दाहिने तरफ कमर में खोसा हुआ एक अदद चाकू बरामद हुआ हुलिया चाकू लम्बाई 17 अंगुल फल की लम्बाई 11 अंगुल है। उक्त व्यक्ति से चाकू रखने के सम्बन्ध में लाइसेन्स तलब किया गया तो प्रस्तुत नहीं कर सका उक्त दोनो व्यक्तियों से पूछा गया तो बताये की हम लोग किसी दुकान में चोरी करने की नियत से बैठे थे मौका तलाश कर रहे थे तब तक आप लोगो द्वारा पकड लिया गये। गिरफ्तार व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 432/2020 धारा 401 आईपीसी व मु0अ0सं0 433/2020 धारा 4/25 A Act पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।